


वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) और अनुच्छेद 44 के खण्ड (ड) के उप-खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और 0.5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-102]

राज्यपाल के आदेश से,


शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव


**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments specified in clause (c) of Article 5 and sub-clause (ii) of clause (ee) of Article 44 of the Schedule to the said Act, shall be reduced and charged at the rate of 0.5 percent.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-102]

By order of the Governor,


(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government